सत्यमेव जयते
कुलाधिपति
Chancellor

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय,
University,
राज भवन, जयपुर – 302006
Raj Bhawan, Jaipur

क्रमांक एफ.2(14)आरबी/2017/3604
दिनांक 05 मई, 2018

आदेश

जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय अधिनियम, 1962 (यथासंशोधित 2013) की धारा 11(1) व 11(2) के अंतर्गत डॉ0 आर0पी0सिंह को आदेश क्रमांक एफ.2(2)आरबी/2011/2888, दिनांक 04.05.2015 द्वारा कुलपति, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर का कार्यभार संभालने की तिथि से तीन वर्ष तक या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, हेतु नियुक्त किया गया था। डॉ0 सिंह द्वारा कुलपति, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के पद का कार्यभार दिनांक 05.05.2015 (मध्यान्ह पश्चात्) को संभाला गया था।

डॉ0 सिंह का कार्यकाल दिनांक 05.05.2018 को पूर्ण हो रहा है। कुलपति पद पर पूर्णकालिक नियुक्ति प्रकियाधीन है।

अतः मैं, कल्याण सिंह, कुलाधिपति, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम 1962 (यथासंशोधित 2017) की धारा 11(9) व 11(10) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की सलाह पर प्रो0 राधेश्याम शर्मा, कुलपति, डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर को नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक, अस्थाई व्यवस्था अन्तर्गत अतिरिक्त प्रभार के रूप में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के वर्तमान कुलपति के कार्यकाल समाप्ति उपरांत उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए निर्देशित करता हूँ।

ह0

(कल्याण सिंह)
राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति

क्रमांक एफ.2(14)आरबी/2017/3605-3610 दिनांक 04 मई, 2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. डॉ0 आर0पी0सिंह, कुलपति, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
5. प्रो0 राधेश्याम शर्मा, कुलपति, डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
6. कुलसचिव, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर

(हरीश कुमार)
प्रभारी अधिकारी, उच्च शिक्षा